राजस्थान मृत शरीर का सम्मान वधियक -2023 ध्वनमित से पारति

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2023 को राजस्थान वधिानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान वधियक -2023 को चर्चा के बाद ध्वनमित से पारति कर दयिा गया। यह वधियक मृत शरीरों की गरमिा को सुनश्चिति करते हुए इनके धरना-प्रदर्शन में कयि जाने वाले दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाएगा।

प्रमुख बदि

- संसदीय कार्यमंत्री शांतकिुमार धारीवाल ने वधिानसभा में इस वधियक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कमिृत शवों को रखकर धरना-प्रदर्शन की प्रवृत्तदिनि-प्रतदिनि बढ़ती जा रही है। वर्तमान में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लयि वधिकि में प्रावधान नहीं है, इसीलयि यह वधियक लाया गया है।
- संसदीय कार्यमंत्री शांतकिुमार धारीवाल ने बताया कविर्ष 2014 से 2018 तक इस तरह की 82 एवं वर्ष 2019 से अब तक 306 घटनाएँ हुई हैं।
- इस वधियक से लावारसि शवों की डीएनए एवं जेनेटकि प्रोफाइलगि कर डाटा संरक्षति भी कयिा जाएगा ताकभिवष्यि में उनकी पहचान हो सके।
- संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कपिरजिन द्वारा मृत व्यक्तकिा शव नहीं लेने की स्थतिमिें वधियक में एक वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान कयिा गया है। साथ ही परजिन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान कयिा गया है।
- इसी प्रकार परजिन से भन्नि अन्य व्यक्तदि्वारा शव का वरिोध करने के लयि इस्तेमाल करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने से दंडति करने का प्रावधान कयिा गया है।
- कार्यपालक मजस्टि्रेट को मृतक का अंतमि संस्कार 24 घंटे में कराने की शक्तप्रिदान की गई है। यह अवधविशिेष परस्थितियिों में बढ़ाई भी जा सकेगी। साथ ही परजिन द्वारा शव का अंतमि संस्कार नहीं करने की स्थतिमिें लोक प्राधकिारी द्वारा अंतमि संस्कार कयिा जा सकेगा।
- शांतकिुमार धारीवाल ने बताया कसिविलि रटि पटीशन आश्रय अधकिार अभयिान बनाम यूनयिन ऑफ इंडयिा में उच्चतम न्यायालय ने मृत शरीरों के शष्टितापूर्वक दफन या अंतमि संस्कार के नरि्देश प्रदान कएि थे। इस नरि्देशों की पालना में इस वधियक में लावारसि शवों का सम्मानपूर्वक अंतमि संस्कार करना और इन शवों की डीएनए प्रोफाइलगि और डजिटिाइजेशन के माध्यम से आनुवंशकि जेनेटकि डाटा सूचना का संरक्षण और सूचना की गोपनीयता रखने जैसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान कयि गए हैं।
- इससे लावारसि शवों का रकिॉर्ड संधारति हो सकेगा और उनकी भवष्यि में पहचान भी हो सकेगी। उन्होंने बताया कविर्ष 2023 तक प्रदेश में 3216 लावारसि शव मलिे हैं।
- इससे पूर्व सदन ने जनमत जानने के लयि वधियक को परचिालति करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दयिा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-dead-body-respect-bill-2023-passed-by-voice-vote